भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1448

उत्तर देने की तारीख: 09.12.2025

वृद्धाश्रम

1448. एडवोकेट प्रिया सरोज:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जौनपुर सहित उत्तर प्रदेश में कितने वृद्धाश्रमों, दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों और नशामुक्ति केन्द्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) वर्ष 2023-2025 के दौरान इन केन्द्रों के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;

(ग) क्या स्वतंत्र मूल्यांकनों में स्टाफ, सुलभता या सेवा की गुणवत्ता में कमियों को उजागर किया गया है;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर महिलाओं, दिव्यांगजनों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वृद्धजनों के लिए सुलभता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) उत्तर प्रदेश से लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): जौनपुर सहित उत्तर प्रदेश में मंज़ूर किए गए वरिष्ठ नागरिक गृहों, दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों और नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या इस प्रकार है:

योजना का नाम	श्रेणी	उत्तर प्रदेश	जौनपुर
अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई)	एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिक गृह (आईपीएसआरसी)	25	-
ड्रग्स की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य	नशे के आदी व्यक्तियों हेतु एकीकृत पुनर्वास केंद्र (आईआरसीए) -	21	-

योजना (एनएपीडीडीआर)	जिला नशामुक्ति केंद्र (डीडीएसी)	28	1
	आउटरीच और ड्रॉप-इन सेंटर (ओडीआईसी)	10	-
	किशोरों में शुरुआती ड्रग्स के सेवन को रोकने के लिए समुदाय आधारित संगति परक इंटरवेंशन (सीपीएलआई)	05	-
	राष्ट्रीय ड्रग्स निर्भरता उपचार केंद्र (एनडीडीटीसी), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के माध्यम से नशामुक्ति उपचार सुविधा (एटीएफ)।	23	-
दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)	दिव्यांग पुनर्वास केंद्र	-	-

(ख): जौनपुर सहित उत्तर प्रदेश राज्य में इन केंद्रों को वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान जारी की गई कुल धनराशि इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत जारी धनराशि**	**ड्रग्स की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत जारी धनराशि**
1	2023-24	7.97	11.88
2	2024-25	8.75	16.74

(ग): नया वित्तीय चरण शुरू होने से पहले, योजनाओं को जारी रखने के लिए उनका अन्य पक्ष द्वारा मूल्यांकन आवश्यक है। इन मूल्यांकन अध्ययनों में किए गए पर्यवेक्षण के आधार पर, योजनाओं में यदि कोई कमी हो तो उसे दूर करके उन्हें ज़्यादा प्रभावकारी बनाने के लिए ज़रूरी संशोधन किए जाते हैं।

(घ): अटल वयो अभ्युदय योजना के एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम घटक के तहत, पूरे देश में, जिसमें ग्रामीण इलाके भी शामिल हैं, वृद्धजनों के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह को अनुदान सहायता के ज़रिए सहायता दी जाती है। इसके अलावा, इस योजना के इस घटक के अंतर्गत विशेष रूप से वृद्ध महिलाओं के लिए 50 बिस्तर वाले वरिष्ठ नागरिक गृह को

वित्तीय सहायता भी दी जाती है। हालांकि, इन वरिष्ठ नागरिक गृह में जाति के आधार पर कोई अलग श्रेणी नहीं होती है।

चूंकि, 'राज्य में निहित या उसके स्वामित्व वाले औद्योगिक भवन, भूमि तथा भवन' राज्य का विषय होते हैं, और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 41, 44 और 45 के अनुसार, उपयुक्त सरकार दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बुनियादी अवसंरचना, परिवहन व्यवस्था तथा सुलभ आईसीटी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के लिए ज़िम्मेदार होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों सहित नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए भी ज़िम्मेदार होती है कि विभिन्न योजनाएं सुलभता आवश्यकताओं को पूरा करती हैं या नहीं, अत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सुविधा के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एक व्यापक योजना लागू करता है - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की योजना (एसआईडीपीए)। इसमें एक घटक है - "बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए योजना" (सीबीएफई योजना) जिसके माध्यम से शिकायत प्रस्तावों की प्राप्ति के अनुसार मौजूदा सरकारी भवनों और प्रतिष्ठानों में बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए मांग के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, उपयुक्त सरकारों और अन्य सेवा प्रदाताओं को सुलभता संबंधी लेखा-परीक्षा करने में मदद करने के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने बुनियादी वातावरण और वेब/डिजीटल डोमेन दोनों में एक्सेस ऑडिटर को सूचीबद्ध किया है। अब तक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने बुनियादी वातावरण के लिए साठ (60) एक्सेस ऑडिटर और वेब एक्सेसिबिलिटी के लिए सोलह (16) एक्सेस ऑडिटर को पैनल में शामिल किया है। इन पैनल में शामिल एक्सेस ऑडिटरों की सेवाओं को संबंधित अथॉरिटी, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें भी शामिल हैं, आपसी सहमति से निर्धारित नियमों और शर्तों पर सीधे ले सकती हैं, ताकि आवश्यकतानुसार सार्वजनिक और निजी अवसंरचना का एक्सेसिबिलिटी ऑडिट किया जा सके।

(ड़): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 27.05.2025 को छठा विज्ञापन प्रकाशित किया था, जिसके तहत कमी वाले 290 जिलों में जिला नशामुक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। विज्ञापन के प्रत्युत्तर में कुल 302 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 18 उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। साथ ही, उत्तर प्रदेश राज्य से ड्रग्स की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) के तहत लगभग 13.19 करोड़ रुपये की निधियां प्राप्त करने के लिए राज्य कार्य योजना भी प्राप्त हुई है।
